झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा, 2025 से संबंधित आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या – .....07......... / 2025

वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा, 2025 का आयोजन दिनांक 11.02.2025 से किया जा रहा है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या– 10/सा0अव0–03–02/2024 का0–780 दिनांक 13.02.2025 के द्वारा दिनांक 14.02.2025 (शुक्रवार) को कार्यपालक आदेश के तहत शब–ए–बारात के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है। उक्त के आलोक में वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा, 2025 से संबंधित सभी छात्र/छात्राओं, उनके अभिभावकों, विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधानों एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 14.02.2025 को आयोजित होनेवाली माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा स्थगित करते हुए निम्नवत् रुप से पुनर्निधारित की जाती है :–

पूर्व निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम

तिथि एवं दिन	माध्यमिक परीक्षा प्रथम पाली	इंटरमीडिएट परीक्षा द्वितीय पाली
	9:45 AM से 1:00 PM तक	2:00 PM से 5:15 PM तक
14.02.2025 शुक्रवार	Kharia/Khortha/Kurmali/Nagpuri/Panch Pargania खड़िया/खोरठा/कुरमाली/नागपुरी/पंच परगनिया	Compulsory Core Language- I.Sc. & I. Com. Hindi ‘A’ & English ‘A’ Music - I.A.

पुनर्निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम

तिथि एवं दिन	माध्यमिक परीक्षा प्रथम पाली	इंटरमीडिएट परीक्षा द्वितीय पाली
	9:45 AM से 1:00 PM तक	2:00 PM से 5:15 PM तक
04.03.2025 मंगलवार	Kharia/Khortha/Kurmali/Nagpuri/Panch Pargania खड़िया/खोरठा/कुरमाली/नागपुरी/पंच परगनिया	Compulsory Core Language- I.Sc. & I. Com. Hindi ‘A’ & English ‘A’ Music - I.A.

शेष विषयों की परीक्षा विज्ञप्ति संख्या– 48/2024 में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी।
विज्ञप्ति संख्या– 48/2024 की शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

अध्यक्ष के आदेश से,
13/02/25

JAC/ गोप/3262/24/SECY./163/25.
Dt- 13/02/25.
D.O.P- 14/02/25.

सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची।

ज्ञापांक जैक/गो०/3262/24/SECY./163/25 दिनांक : 13/02/25

विज्ञप्ति प्रेषित : (1) मे० आर० डी० एस० मार्केटिंग एण्ड एडवर्टाईजिंग ग्रुप, राँची को इस निर्देश के साथ कि संलग्न विज्ञप्ति को (क) प्रभात खबर झारखण्ड, (ख) दैनिक भास्कर झारखण्ड, (ग) दैनिक जागरण झारखण्ड एवं (घ) हिन्दुस्तान झारखण्ड के आगामी दिनांक 14.02.2025 के संस्करण में न्यूनतम साईज में प्रकाशन सुनिश्चित करें। विज्ञप्ति प्रकाशनोपरान्त देयक की दो प्रतियाँ निर्धारित डी०ए०भी०पी० दर पर परिषद् कार्यालय में भेज दें।

(2) वरीय सूचना प्रौद्योगिकी पदाधिकारी, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को निदेश दिया जाता है कि संलग्न विज्ञप्ति को परिषद् के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

13/02/25

सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची।